न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

मोहम्मद रमजान अंसारी बनाम् मुमताज अंसारी वगै०
वाद संख्या –168 / 2023
धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	**पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर**	**आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित**
19/2/24	<u>आदेश</u> आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। आवेदक मोहम्मद रमजान अंसारी, पिता– अब्दुल रजाक, ग्राम– हेसला, थाना– बगोदर(गिरिडीह) के आवेदन पर थाना प्रभारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर विवादित भूमि मौजा– जमुनियाँ, खाता न०– 1/41, प्लॉट न०– 234/438, रकवा– 27 डी०, चौहद्दी : उ०– नाली, द०– नाली, पू०– सहदसी मियाँ, प०– रघुनाथ साव पर दिनांक 21/12/2023 को निषेघाज्ञा प्रवृत करते हुए आवेदक तथा विपक्षीगण को उक्त जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया साथ हीं निषेघाज्ञा संपुष्टि हेतु उभय पक्षों से कारण पृच्छा भी किया गया। प्रथम पक्ष हुकुमनामा के आधार पर उक्त जमीन पर अपना दावा करते हैं। द्वितीय पक्ष केवाला के आधार पर उक्त जमीन पर अपना दावा करते हैं। उपरोक्त कारण पृच्छा, संलग्न दस्तावेज तथा विद्वान अधिवक्तागण के दलील को सुनने के उपरांत मैं यह निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ की प्रस्तुत मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। चुँकि द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत प्रभावी अवधि 60 दिन है तथा प्रस्तुत मामला हक–हकीयत से संबंधित है अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उभय पक्ष मामले के निपटारे के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। लेखापित एवं संशोधित। 19/2/24 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। 19/2/24 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया।	

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 13:51:36 +05:30
Location: 192.168.1.3